M87P/DY + Per 304

## [TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)] GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE DEPARTMENT OF REVENUE CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

## Notification

New Delhi, the 17<sup>th</sup> March, 2016

S.O. ---(E).- In exercise of the powers conferred by section 2, read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax ( $6^{th}$  Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force from the 1st day of April, 2016.

3

2. In the Income-tax Rules, 1962, after rule 8A, the following rule shall be inserted, namely:-


**"8 AA. Method of determination of period of holding of capital assets in certain cases.** (1) The period for which any capital asset, other than the capital assets mentioned in clause (i) of the Explanation 1 to clause (42A) of section 2 of the Act, is held by an assessee, shall be determined in accordance with the provisions of this rule.

(2) In the case of a capital asset, being a share or debenture of a company, which becomes the property of the assessee in the circumstances mentioned in clause (x) of section 47 of the Act, there shall be included the period for which the bond, debenture, debenture-stock or deposit certificate, as the case may be, was held by the assessee prior to the conversion.".

[Notification No. -[8]/2016][F.No.142/1/2016-TPL]

Deputy Secretary (Tax Policy & Legislation)

Note:- The principal rules were published vide notification number S.O. 969 (E), dated the 26<sup>th</sup> March, 1962 and last amended vide notification S.O.No.1101 (E), dated the 15<sup>th</sup> March , 2016.



rekhe

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

## भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 17 मार्च, 2016

का.आ. ...... (अ)--केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (छठा संशोधन) नियम, 2016 है ।

(2) ये भूतलक्षी प्रभाव से 1 अप्रैल, 2016 से प्रवृत होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 में, नियम 8क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"8कक. कतिपय मामलों में पूंजी आस्तियों के धारण की अवधि का अवधारण की पद्धति:--(1) वह अवधि जिसके लिए अधिनियम की धारा 2 के खंड (42क) के स्पष्टीकरण के खंड (i) में उल्लिखित पूंजी आस्तियों से भिन्न कोई पूंजी आस्ति किसी निर्धारिती द्वारा धारण किया हुआ है, इस नियम के उपबंधों के अनुसरण में अवधारण किया जाएगा !

------(2) पूंजी आस्ति की दशा में, जो कंपनी के शेयर या डिबेंचर है अधिनियम की धारा 47 के खंड (भ) में उल्लिखित परिस्थितियों में निर्धारिती की संपत्ति हो जाती है, वहां वह अवधि सम्मिलित की जाएगी जिसके लिए यथास्थिति, बंधपत्र, डिबेंचर, डिबेंचर-स्टॉक या निक्षेप प्रमाणपत्र संपरिवर्तन से पूर्व निर्धारिती दवारा धारित किए गए थे।"

(अधिसूचना सं. 18/2016/फा.सं. 142/1/2016- टीपीएल)

JUNAI JO

(एकता जैन) उप सचिव (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 969 (अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 1101(अ) तारीख 15 मार्च, 2016 द्वारा किया गया था ।